श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 10352-551, इंदौर, दिनांक 1/4/2021

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. विरेन्द्रै सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ –

माह/ वर्ष 2020	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी	7532.55
2. फरवरी	7486.90
3. मार्च	7441.24
4. अप्रैल	7509.72
5. मई	7532.55
6 जून	7578.20
7 जुलाई	7669.50
8 अगस्त	7715.15
9 सितम्बर	7757.10
10 अक्टुबर	7855.76
11 नवम्बर	7882.03
12 दिसम्बर	7809.74
औसत	**91770.44÷12=7647.53 औसत (7648)**

तथा उक्तानुसार इनका औसत 7648 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1–2013–ए–सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ठ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2022 तक देय रहेगा।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विर्निमाण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्व किया गया है। जो दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/10352-551 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7648 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकडों के औसत के ऊपर (7648–5299=2349 पाइंट) 2349 औसत बिंदुओं की वृद्वि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकु (जिसमे बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीडी के मान से रूपये 23.49 परिवर्तनशील मंहगाई **भत्ता दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022** तक देय होगा।

(अनुसूची – ई)

किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वग	न्यूनतम वेतन की पुनरिक्षित दरे परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	4
1. बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	23.49	रू 97.49 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाल वेतन का योग रूपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना क परिशिष्ट में बताई गई शर्तो क अनुसार कम से कम रू. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोटः– एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 97 रूपये 49 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिको को बोनस पेटे 8 रूपये 54 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 4 रूपये 87 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रूपये 24 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 121 रूपये 14 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 20.48 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि में श्रमिकों सें 10 रूपये 24 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रूपये 24 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 100 रूपये 66 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

2.
रिलाई श्रमिक

अ. बीडी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा पुडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रूपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रूपये 75.88
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रूपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रूपये 79.75

ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रूपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रूपये 69.44
2. झिल्ली लगाना	रूपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 17.61 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रूपये 51.15
3. लेबल लगाना	रूपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 5.87 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रूपये 18.71
4. पुडा बनाना या चिपकाना	रूपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 5.87 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रूपये 19.12

स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीडियों का कट्टा हो

1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रूपये 192.64 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रूपये 286.60
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रूपये 307.55
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रूपये 307.55

नोटः– बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1– कुशलः– ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर

2– अर्धकुशलः– बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी